न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 123/2012

1. लादी पुत्री हजारी जाति कुम्हार निवासी ग्राम अजगरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— वादीगण

बनाम

1. गोपाली पुत्री गोपाल जाति कुम्हार निवासी ग्राम अजगरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर।

— प्रतिवादीगण

वकील 1. श्री महेन्द्र सिंह राणावत, वादी।
2. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, प्रतिवादी।

निर्णय अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.01.2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आराजीयात वाकै ग्राम अजगरा तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में स्थित है जो निम्न प्रकार से है:—

खाता सं.	खसरा नं0	रकबा	किस्म
91—79	670	1—01—00	चाही 1
	673	2—10—00	बा. 1

यह कि उपरोक्त आराजीयात वादीयां के पिता हजारी की पैतृक सम्पति है व हजारी की मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार दाखा बेवा हजारी, गोपाल पुत्र हजारी व लादी पुत्री हजारी थे। जिसमें सभी का 1/3 हिस्सा है मगर सहवन से हजारी के नाम इन्द्राज कर दी गयी। गोपाल पुत्र हजारी करीबन 20 वर्ष से लापता है जिसकी तलाश करने व अखबार में साया करने के पश्चात भी कोई पता नहीं चला। गोपाली पत्नी गोपाल अजगरा छोडकर अन्यत्र रहने लग गई इससे व्यथित होकर वादीयां व उसकी मां दाखा ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के यह मुकदमा सं. 207/2005 अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसमें न्यायालय ने निर्णय दिनांक 05.12.2005 को वादीया व उसकी मां दाखा के पक्ष में हिस्सा बराबर—बराबर खातेदार काश्तकार का डिक्रि कर दिया व इजराई द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण सं. 756 न्यायालय आदेश दिनांक 18.03.2006 के द्वारा गोपाल पुत्र हजारी के स्थान पर दाखा बेवा हजारी व लादी पुत्र हजारी के नाम इन्द्राज कर दिया गया। यह कि प्रतिवादीयां गोपाली ने न्याालय से उपरोक्त संपति को पैतृक सम्पति होने के तथ्य को व मृतक हजारी के दो जीवित वारिसान वादीया व वादीया की मां दाखा के जीवित होने के तथ्य छिपाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के यहां से मुकदमा सं.85/2005 के द्वारा 26.02.2007 को अपने पक्ष में निर्णय एवं डिक्रि पारित करवा ली व इजराई द्वारा अपने नाम खातेदार काश्तकार करवा लिया जो शुरू से ही शून्य प्रभावहीन है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि वर्णित आराजीयात में हजारी की मृत्यु व गोपाल पुत्र हजारी के लापता होने के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मु. दाखा का 1/3 हिस्सा व लादी पुत्री हजारी का 1/3 हिस्सा व गोपाली पत्नी गोपाल का 1/3 हिस्सा होता है व इसी अनुसार खातेदार काश्तकार है मु. दाखा की मृत्यु हो चुकी है। दाखा ने वर्णित आराजीयात में अपने हिस्से का दिनांक 09.08. 2010 को वादीयां के पक्ष में रिलीज डीड पंजीबद्ध करवा दिया व नामान्तकरण सं. 1090

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 15.11.2010 को राजस्व रिकॉर्ड में मु. दाखा बेवा हजारी के स्थान पर लादी पुत्री हजारी कौम कुम्हार का नाम इन्द्राज कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में उपर वर्णित आराजीयात की वादीया 2/3 हिस्से अनुसार व प्रतिवादीया सं. 1 को 1/3 हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है व कब्जे काश्त स्वामित्व में है व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज होना आवश्यक व न्यायसंगत है। यह कि उक्त आराजीयात का मौके पर बंटवारा कर अलग–अलग खाते कायम नहीं किये गये व प्रतिवादी सं. 1 को वादीया के बंटवारे में आई आराजीयात में कब्जे काश्त व स्वामित्व में बाधा नहीं डालने हेतु जरिये अस्थाई पाबंद नहीं किया गया तो वादीया को अपूर्तियुक्त क्षति होगी।

वादी द्वारा निम्न साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए:–

- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अजगरा संवत् 2063–2066
- प्रमाणित प्रतिलिपी खसरा गिरदावरी ग्राम अजगरा संवत् 2067–2070
- प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अजगरा संवत् 2059–2062
- प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदी ग्राम अजगरा संवत् 2059–2062
- प्रतिलिपी निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी मुकदमा नं. 207/05
- प्रतिलिपी डिक्रि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी मुकदमा नं. 207/05
- प्रतिलिपी निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी मुकदमा नं. 85/05
- प्रतिलिपी डिक्रि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी मुकदमा नं. 85/05
- प्रतिलिपी मृत्यु प्रमाण पत्र दाखा
- प्रतिलिपी रिलीज डीड दाखा बहक लादी

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से जवाब बंद कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। वादीया की ओर से स्वंय वादीया एवं कैलाश पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी बाजटा तहसील केकड़ी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने पर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी बंद कर बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वादीया के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। वादीया के अधिवक्ता का कथन है कि विवादित आराजीयात हजारी की है व हजारी के वारिसान में गोपाल पुत्र, लादी पुत्री व दाखा माता है। हजारी की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजीयात केवल गोपाल पुत्र हजारी के नाम दर्ज कर दी गई तथा गोपाल के बाद गोपाली पत्नी गोपाल के नाम दर्ज कर दी गई। विवादित आराजी में दाखा का 1/3 हिस्सा है जो वादीया के पक्ष में रिलीज डीड कर दी गई है। अतः वादीया को 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक की बहस पर विधिक मनन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के प्रकरण सं. 85/2005 निर्णय दिनांक 26.02.2007 द्वारा गोपाल पुत्र हजारी के 15 वर्षो से लापता होने जीवित या फौत होने की कोई जानकारी नहीं हाने व वादग्रस्त आराजी गोपाल पुत्र हजारी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (राज.)

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभाषक की बहस पर विधिक मनन किया गया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के प्रकरण सं. 85/2005 निर्णय दिनांक 26.02.2007 द्वारा गोपाल पुत्र हजारी के 15 वर्षो से लापता होने जीवित या फौत होने की कोई जानकारी नहीं होने व वादग्रस्त आराजी गोपाल पुत्र हजारी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज होने व गोपाली पत्नी गोपाल के कब्जे काश्त में होने से वादग्रस्त आराजीयात पर गोपाल पत्नी गोपाल को खातेदार कृषक घोषित किया गया है। वादीया का कथन है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के प्रकरण सं. 85/2005 निर्णय दिनांक 26.02.2007 को प्रतिवादी ने उपरोक्त न्यायालय से पैतृक होने के तथ्य को मृतक हजारी के दो जीवित वारिसान वादीया व वादीया की मां दाखा के तथ्य छिपाकर निर्णय डिक्रि प्राप्त कर ली जो शून्य प्रभावहीन होने में है व निरस्त योग्य है।

वादीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के निर्णय दिनांक 26.02.2007 की सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गई है तथा न्यायालय द्वारा वाद वर्णित आराजीयात गोपाल पुत्र हजारी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने व गोपाल पुत्र हजारी के 15 वर्षो से लापता होने व गोपाल के अन्य कोई वारिस नहीं होने से विवादित आराजीयात गोपाल की एक मात्र वारिस पत्नी गोपाली के नाम दर्ज करने के आदेश दिये है। वादीयां द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के निर्णय दिनांक 26.02.2007 की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर वाद वर्णित आराजीयात में 2/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर निर्णित में गणना की जावें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2020.03.16 15:21:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: